UPSI180048822022

न्ययालय Civil Judge Junior Division/J.M. Mahmudabad, Sitapur

पेठसीन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh)**, (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP03730**

मूलवाद सं० Warrant or Summons Criminal Case/3782/2022

Shila devi Vs. Vishwas treding Company dwara Amaresh poddar

16.12.2022

पत्रावली पेश हुई। वास्ते आदेश तलबी नियत है।

परिवादिनी शीला देवी द्वारा परिवाद अर्न्तगत धारा 138 एन0आई0 एक्ट थाना महमूदाबाद, सीतापुर विपक्षी विश्वास ट्रेडिंग कम्पनी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी ने परिवादी को चेक सं0 001106 धनराशि 10,20,000 रूपये प्रदान किया। परिवादी ने उक्त चेक भुगतान हेतु बैंक में जमा किया। विपक्षी के खाते में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त चेक अनादरित होकर जरिए रिटर्न मेमो दिनांकित 18.03.2021 वापस हो गई। इस कारण परिवादी ने जरिए अधिवक्ता विपक्षी को पंजीकृत डाक से दिनांक 27.03.2021 को नोटिस प्रेषित किया, किन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई। इस कारण विपक्षी को उसके द्वारा किये गये अपराध हेतु बाद तलबी दण्डित किया जाय तथा चेक में अंकित धनराशि मय ब्याज परिवादी को विपक्षी से दिलवाई जाय।

परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 142 एन0आई0 एक्ट प्रस्तुत करके यह भी कथन किया गया है कि उसके द्वारा इसके पूर्व योजित परिवाद निर्धारित समयावधि से पूर्व दाखिल कर देने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19. 10.2022 को निरस्त किया जा चुका है। अतः परिवाद योजित करने में उक्त कारणवश हुए विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण के सम्बन्ध में पुनः सुनवाई कर विपक्षी को उसके द्वारा किये गये अपराध हेतु बाद तलबी दण्डित किया जाय तथा चेक में अंकित धनराशि मय ब्याज परिवादी को विपक्षी से दिलवाई जाय।

अपने कथन के समर्थन में परिवादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची से चेक की बैंक रिटर्न मेंमो दिनांकित 18.03.2021, मूल चेक सं0 001106 धनराशि 10,20,000 रूपये, छाया प्रति नोटिस मय पंजीकृत डाक रसीद दिनांकित 27.03.2021 नकल आदेश दिनांकित 19.10.2022 प्रस्तुत किया गया हैं तथा धारा 145 एन0आई0 एक्ट के अर्न्तगत परिवादिनी शीला देवी का साक्ष्य शपथ–पत्र दाखिल किया गया है।

पूर्व तिथि पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

बैंक रिटर्न मेमो रिपोर्ट दिनांकित 18.03.2021 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत चेक सं0 001106 धनराशि 10,20,000 रूपये, **"Account blocked situation covered in 2125"** होने के कारण अनादृत हुआ है। विपक्षी को डिमाण्ड नोटिस दिनांक 27.03.2021 को प्रेषित की गयी है। चूंकि नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक अन्दर मियाद भेजी गयी है, न्यायालय के मत में नोटिस की तामीला पर्याप्त है तथा विपक्षी द्वारा नियत मियाद के अर्न्तगत चेक में वर्णित धनराशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया, तब परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद योजित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा पूर्व योजित परिवाद सं0 495/2021 शीला देवी बनाम विश्वास ट्रेडिंग कम्पनी

क्रमशः

वाद हेतुक उत्पन्न होने से पूर्व दाखिल कर देने के कारण दिनांक 19.10.2022 को धारा 203 द0 प्र0 सं0 के अर्न्तगत निरस्त किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 142 एन0आई0 एक्ट के कथनों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से पुनः परिवाद प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः परिवादी की ओर से इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये समस्त साक्ष्य के आधार पर विपक्षी विश्वास ट्रेडिंग कम्पनी को अर्न्तगत धारा 138 एन0आई0 एक्ट में तलब करने के आधार प्रथम दृष्टया पर्याप्त हैं।

आदेश

विपक्षी/अभियुक्त विश्वास ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा अमरेश पोद्दार को अर्न्तगत धारा 138 एन0आई0 एक्ट में विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाता है। इस हेतु पैरवी उभय प्रकार से की जाय। चेकों में वर्णित धनराशि–10,20,000 (दस लाख बीस हजार) रूपये है। प्रकरण के दृष्टिगत उचित होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था मे0 मीटर्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स प्रा0 लि0 व अन्य बनाम कचंन मेहता में दिये गये निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0एल0 नं0–9949/एडमिन जी–।। दिनांकित 13.07.2018 के अनुक्रम में सम्मन में चेक में वर्णित धनराशि–10,20,000 (दस लाख बीस हजार) रूपये अंकित करते हुए विपक्षी को इस आशय से प्रेषित हो कि यदि विपक्षी/अभियुक्त चाहे तो परिवादी के खाते में उक्त समस्त धनराशि जमा कर उसकी सूचना न्यायालय को दे। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक–01.02.2023 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O. Code- UP3730

16.12.2022

अजय/

Digitally signed by Akshita Singh
Date: 2022.12.16 16:46:09 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmudabad, Sitapur.